(To be published in part-4 of Delhi Gazette Extra-ordinary),

Government of National Capital Territory of Delhi,
(Department of Law, Justice & Legislative Affairs),
5-Sham Nath Marg, Delhi-110054.

No.F.14(20)/95-2000/LA/194 Dated 13th April, 2000.

The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt.Governor of Delhi on 11.4.2000 and is hereby published for general information :-

The Delhi Members of Metropolitan Council (Enhancement of Pension) Act, 2000.
(Delhi Act No.4 of 2000)

As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 4.4.2000.

AN

ACT

to provide for the enhancement of pension to the Members of the erstwhile Metropolitan Council, Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-first year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, commencement and application.- (1) This Act may be called the Delhi Members of Metropolitan Council (Enhancement of Pension) Act, 2000.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.
(3) It shall apply to Members of the erstwhile Metropolitan Council, Delhi (hereinafter referred to as "the Members of Metropolitan Council") receiving pension under the Members of Metropolitan Council (Salaries and Allowances) Order, 1966 issued under section 21 of the Delhi Administration Act, 1966 (19 of 1966).

2. Enhancement of Pension to Members of Metropolitan Council.- (1) A member of the Metropolitan Council who has completed a minimum term of five years shall receive a pension of one thousand rupees per mensem. For every year in excess of five years, he shall receive additional pension of two hundred rupees per mensem for each such year or part thereof exceeding six months, subject to a maximum pension of two thousand rupees per mensem.

(2) A member who opts to draw pension under this Act, he shall be deemed to have chosen not to receive pension under sub-paragraph (1) of clause 7 of the Members of Metropolitan Council (Salaries and Allowances and Pension) Order, 1966 but the pension paid under this Act shall continue to be subject to the same terms and conditions governing pension in the said Order.

(R.T.L.D'SOUZA),
Under Secretary (L.A.).

(दिल्ली राजपत्र भाग-4(असाधारण) में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग),

5-शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054.

संख्या:फा.14(20)/95-2000/विधायी कार्य/194 दिनांक 13.4.2000.

उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 11.4.2000 को मिली अनुमति के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

महानगर परिषद के दिल्ली सदस्यों की (पेंशन की वृद्धि) अधिनियम, 2000 (दिल्ली अधिनियम संख्या:4 वर्ष, 2000).

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा दिनांक 4.4.2000 को यथा पारित।

एक

अधिनियम

पूर्व महानगर परिषद, दिल्ली के सदस्यों को पेंशन वृद्धि उपलब्ध कराने के लिए

यह भारतीय गणतंत्र के इक्यावनवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नप्रकार अधिनियमित किया जाएगा:

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ एवं लागू .- (1) यह अधिनियम महानगर परिषद के दिल्ली सदस्यों (पेंशन वृद्धि) अधिनियम, 2000 कहलाएगा।
(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
(3) दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (1966 का 19) की धारा 21 के अधीन जारी, महानगर परिषद सदस्यों (वेतन एवं भत्ते) आदेश, 1966 के अधीन पेंशन प्राप्त करने वाले पूर्व महानगर परिषद, दिल्ली (इसके पश्चात महानगर परिषद के सदस्य के रूप में संदर्भित) के सदस्यों पर लागू होगा।

2. महानगर परिषद के सदस्यों की पेंशन वृद्धि .-

(1) महानगर परिषद का वह सदस्य जिसने पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि पूरी कर ली हो, प्रतिमाह एक हजार रूपये पेंशन प्राप्त करेगा। पाँच वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक ऐसे वर्ष अथवा उस वर्ष के छ: महीने से अधिक भाग के लिए दो सौ रूपये अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करेगा, इस शर्त के साथ कि अधिकतम पेंशन दो हजार रूपये प्रतिमाह से अधिक न हो

(2) जिस सदस्य ने इस अधिनियम के अन्तर्गत पेंशन पाने का विकल्प दिया है यह समझा जायेगा कि वह महानगर परिषद सदस्य (वेतन, भत्ते तथा पेंशन) आदेश, 1966 अनुभाग 1 धारा 7 के अंतर्गत पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान की गई पेंशन उक्त आदेश में पेंशन को नियंत्रित करने वाले निर्देश एवं शर्तें जारी रहेंगी।

(आर. टी. एल. डि'सूजा),
अपर सचिव (विधायी कार्य).